

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र डण्डाली

पीठासीन अधिकारी-श्री नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

182

प्रकरण सं.:- 18/2017


दिनांक:-~~29.5.17~~

29.5.17

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती अपील पत्र एवं पटवारी करना व भू.अ.नि.भुंका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम. चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चम्पा भाखरी	49	272/2,392, 395/2	हपीया वल्द चूना	जगमालराम वल्द चूनाराम शेष बद्दुस्तर


29/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी


दिनांक:- 29.5.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

183-85

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. जगमालराम वल्द चूनाराम जाति जाट निवासी चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


29/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी